संख्या- 127 /2020/ 1264 /चार-2020

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय- क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज कार्यालय की मरम्मत एवं नये शौचालय के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-764/सं0नि0-19-स्टोर(क्षे0अभि0ई0 निविदा)/2018-19 दिनांक 21 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज कार्यालय की मरम्मत एवं नये शौचालय के निर्माण कार्य हेतु रू0 6.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 78/2020661/चार-2020 दिनांक 18 मार्च, 2020 एवं शासनादेश संख्या: 100/2020661/चार-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा प्रदान की गयी थी, किन्तु कोरोना वायरस (कोविड-19) सर्वव्यापी महामारी के कारण उक्त धनराशि का आहरण/उपयोग गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में नही हो सका है।

3. अत: उपरोक्त शासनादेशों दिनांक 18 मार्च, 2020 एवं 20 मार्च, 2020 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय अभिलेखागार, प्रयागराज कार्यालय की मरम्मत एवं नये शौचालय के निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी ) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

6. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 4202- शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-25-लघु निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 127 /2020/ 1264 (1)/चार-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।